JLI & Addl

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 301 (क)

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०-41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

इलाहाबाद, शुक्रवार, 30 अक्तूबर, 1998 ई०
(कार्तिक 8 1920 शक संवत्)

उत्तर प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

अनुभाग-1

सं0 1201/18-1-439 (आर)-70

30 अक्तूबर, 1998 ई0

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा नियमावली, 1991 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं---

उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1998

1---संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ---(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1998 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2---नियम 5 का प्रतिस्थापन---उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा नियमावली, 1991 में नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए वर्तमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रखा जायेगा; अर्थात्---

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5––भर्ती का स्रोत––सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:––	5––भर्ती का स्रोत––सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगी––
(1) अपर निदेशक उद्योग––मौलिक रूप से नियुक्त उन संयुक्त निदेशक उद्योग, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को संयुक्त निदेशक के पद पर स्थानापन्न सेवा सहित सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा ।	(1) अपर निदेशक उद्योग––मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशक उद्योग में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को संयुक्त निदेशक के पद पर स्थानापन्न सेवा सहित सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा : परन्तु यदि पात्र और उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हों तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशक, उद्योग को, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को स्थानापन्न सेवा सहित छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, सम्मिलित करने के लिए सरकार द्वारा पात्रता के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है ।
(2) संयुक्त निदेशक, उद्योग––मौलिक रूप से नियुक्त उप–निदेशक श्रेणी के अधिकारियों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को स्थानापन्न में सेवा सहित दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा : परन्तु यह कि जहां कोई अवर व्यक्ति पदोन्नति के लिए पात्र हो और इस रूप में उसे पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाय तो उससे ज्येष्ठ व्यक्ति को भी पात्र माना जायेगा और इस तथ्य के होते हुए भी कि उसने अपेक्षित अर्ह सेवा पूरी नहीं की है, उसे पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा ।	(2) संयुक्त निदेशक, उद्योग––मौलिक रूप से नियुक्त उप–निदेशक श्रेणी के अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में स्थानापन्न सेवा सहित दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा : परन्तु यदि पात्र और उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हों तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप–निदेशक श्रेणी के अधिकारियों को, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को स्थानापन्न सेवा सहित छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, सम्मिलित करने के लिए सरकार द्वारा पात्रता के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है : परन्तु यह और कि जहां कोई कनिष्ठ व्यक्ति पदोन्नति के लिए पात्र हो और इस रूप में उसे पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाता है तो उससे ज्येष्ठ व्यक्ति को भी पात्र माना जायेगा और इस तथ्य के होते हुए भी कि उसने अपेक्षित अर्ह सेवा पूरी नहीं की है, उसे पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा ।

आज्ञा से,
गोविन्दन नायर,
सचिव ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1201/18-1—439(R)-70, dated October 30, 1998:

No. 1201/18-1—439(R)-70

October 30, 1998

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Industries (Senior Group 'A') Service Rules, 1991.

उत्तर प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

अनुभाग–1

अधिसूचना

7 अक्तूबर, 1991 ई0

सं0 1510–आर/18–1–439–आर–70––संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :––

उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा नियमावली, 1991

भाग–एक––सामान्य

1––संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ––(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा नियमावली, 1991 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2––सेवा की प्रास्थिति––उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह "क" के पद समाविष्ट हैं।

3––परिभाषाएं––जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इन नियमावली में––

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य राज्यपाल से है,

(ख) "उप निदेशक श्रेणी अधिकारी" में सहा प्रबन्धक, उपनिदेशक, उप निदेशक सहकारिता, केन्द्रीय नियंत्रक गुणात्मक विकास योजना, मुख्य सांख्यकी अधिकारी, अभियन्ता (यान्त्रिक), अभियन्ता (रासायनिक), विकास अधिकारी (लघु अभियंत्रण उद्योग), विकास अधिकारी (प्राविधिक), विकास अधिकारी (वैद्युत), मुख्य धातु विज्ञानी, विकास अधिकारी (मृदभान्ड), विकास अधिकारी (कांच), विकास अधिकारी (चर्म), निदेशक केन्द्रीय परिकल्पना केन्द्र, वस्त्र विशेषज्ञ और उप निदेशक श्रेणी अधिकारी के वेतनमान में कोई अन्य अधिकारी सम्मिलित हैं।

(ग) "निदेशक" का तात्पर्य उद्योग, निदेशक, उत्तर प्रदेश से है,

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(च) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के अधीन या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

(छ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा से है,

(ज) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो,

(झ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो––संवर्ग

4––सेवा का संवर्ग––(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है।

परन्तु—

[एक] नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या सरकार उसे आस्थगित रख सकती है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा ;

[बो] सरकार ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे ।

भाग–तीन—भर्ती

5—भर्ती का स्रोत—सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगी :

(1) अपर निदेशक, उद्योग—मौलिक रूप से नियुक्त उन संयुक्त निदेशक, उद्योग, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को संयुक्त निदेशक के पद पर स्थानापन्न सेवा सहित सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से, पदोन्नति द्वारा ;

संयुक्त निदेशक उद्योग—मौलिक रूप से नियुक्त उप–निदेशक श्रेणी के अधिकारियों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से, पदोन्नति द्वारा ;

परन्तु यह कि जहां कोई अवर व्यक्ति पदोन्नति के लिये पात्र हो और इस रूप में उसे पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाय तो उससे ज्येष्ठ व्यक्ति को भी पात्र माना जायगा और इस तथ्य के होते हुए भी कि उसने अपेक्षित अर्ह सेवा पूरी नहीं की है, उसे पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायगा ।

6—आरक्षण—अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायगा ।

भाग–चार—भर्ती की प्रक्रिया

7—रिक्तियों का अवधारण—नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा ।

8—पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती ज्येष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

[क] अपर निदेशक के पद के लिए :

(1) मुख्य सचिव .. अध्यक्ष

(2) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, उद्योग विभाग, यदि कोई हो .. सदस्य

(3) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग .. सदस्य

(4) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लघु उद्योग विभाग .. सदस्य

[ख] संयुक्त निदेशक के पद के लिये :

(1) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लघु उद्योग विभाग .. सदस्य

(2) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग .. सदस्य

(3) उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश .. सदस्य

टिप्पणी—ज्येष्ठ सचिव चयन समिति का अध्यक्ष होगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के उपबन्धों के अनुसार पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र–पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है ।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार तैयार करेगी । इस सूची में अभ्यर्थियों के नामों की संख्या पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से अधिक (परन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी । यह सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर दी जायगी ।

भाग–पांच—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

9—नियुक्ति—(1) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेकर जिसमें उनके नाम

नियम 8 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्ति करेगा ।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, यथास्थिति, चयन में यथाअवधारित ज्येष्ठता क्रम में या उस संवर्ग में, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठता क्रम में किया जायगा।

10--परिवीक्षा--(1) किसी व्यक्ति को सेवा में किसी स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढायी जाय :

परन्तु परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के आगे नहीं बढ़ायी जायगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अंत में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है ।

(4) कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप-नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या स्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने की अनुमति दे सकता है ।

11---स्थायीकरण--(1) उप-नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि--

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय, और

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय ।

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहां उस नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (3) के अधीन यह घोषित करते हुये दिया गया आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा ।

12---ज्येष्ठता---किसी भी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी ।

भाग सात---वेतन इत्यादि

13---वेतनमान---(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय ।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय अनुमन्य वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये हैं ।

14---परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन---(1) फण्डामेण्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो ।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु उपनियम (1) और (2) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में यदि परिवीक्षा अवधि सन्तोष न प्रदान कर सकने के कारण बढ़ायी जाय तो ऐसी बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

भाग आठ---अन्य उपबन्ध

15---पक्ष समर्थन---सेवा में पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष

JCI/ADDL

(33)

उत्तर प्रदेश शासन
उद्योग अनुभाग-1
संख्या- 3549-आर/18-1-437(आर)/70,
लखनऊ : दिनांक : 5-6- , 1992

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा नियमावली, 1991 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली, 1992

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली, 1992 कही जायगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का प्रतिस्थापन 2- उत्तर प्रदेश उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा नियमावली, 1991 के नीचे स्तम्भ एक में दिये गये नियम 5 के स्थान पर, स्तम्भ दो में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात् :-

	स्तम्भ एक	स्तम्भ दो
भर्ती का स्रोत	5- सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगी :-	(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम) 5- सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगी :
	(1) अपर निदेशक उद्योग :- मौलिक रूप से नियुक्त उन संयुक्त निदेशक, उद्योग, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को संयुक्त निदेशक के पद पर स्थानापन्न सेवा सहित सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से, पदोन्नति द्वारा;	(1) अपर निदेशक उद्योग - मौलिक रूप से नियुक्त उन संयुक्त निदेशक, उद्योग, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को संयुक्त निदेशक के पद पर स्थानापन्न सेवा सहित

(2) संयुक्त निदेशक उद्योग- मौलिक रूप से नियुक्त उप निदेशक श्रेणी के अधिकारियों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उस रूप में, दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से, पदोन्नति द्वारा;

परन्तु यह कि जहाँ कोई अवर सबंधित पदोन्नति के लिये पात्र हो और इस रूप में उसे पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाय तो उससे ज्येष्ठ व्यक्ति को भी पात्र माना जायेगा और इस तथ्य के होते हुये भी कि उसने अपेक्षित अर्ह सेवा पूरी नहीं की है उसे पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायगा।

सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से; पदोन्नति द्वारा;

(2) संयुक्त निदेशक उद्योग – मौलिक रूप से नियुक्त उप निदेशक श्रेणी के अधिकारियों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को स्थानापन्न स्थिति में सेवा सहित दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा;

परन्तु यह कि जहाँ कोई कनिष्ठ व्यक्ति पदोन्नति के लिये पात्र हो और इस रूप में पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाय तो उससे ज्येष्ठ व्यक्ति को भी पात्र माना जायगा और इस तथ्य के होते हुये भी कि उसने अपेक्षित अर्ह सेवा पूरी नहीं की है उसे पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।"

आज्ञा से,

[illegible] कुमार,
सचिव,
लघु उद्योग।

①

उत्तर प्रदेश सरकार
उद्योग विभाग
अनुभाग–1

प्रकीर्ण

5 जून, 1992 ई०

सं० 1003–आर/18–1–182––(आर)–61––संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग अधीनस्थ सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं––

उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1992

भाग एक––सामान्य

1––संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ––(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1992 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2––सेवा की प्रास्थिति––उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग अधीनस्थ सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

3––परिभाषाएं––जब तक विषय या संदर्भ में प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में––

(क) किसी पद के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य परिशिष्ट के स्तम्भ 9 में प्रत्येक पद के सामने इस रूप में उल्लिखित प्राधिकारी से है;

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(ग) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;

(घ) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;

(ङ) "निदेशक" का तात्पर्य उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश से है।

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(छ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(ज) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(झ) "अनुभव" का तात्पर्य सीधी भर्ती के लिये राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या सार्वजनिक उपक्रम या ख्याति प्राप्त निजी उपक्रम में सुसंगत विषय या व्यवसाय के सम्बन्ध में अनुभव से है।

(ञ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग अधीनस्थ सेवा से है;

(ट) "अधीनस्थ कार्यालय" का तात्पर्य उद्योग निदेशक उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ कार्यालय से है।

(ठ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(ड) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

(ढ) "परिक्षेत्रीय अधिकारी" का तात्पर्य किसी परिक्षेत्र के प्रभारी अधिकारी से है;

(ण) "परिक्षेत्र" का तात्पर्य विभाग द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से है और जिसे किसी परिक्षेत्रीय अधिकारी के प्रभार के अधीन रखा गया हो;

4--सेवा का संवर्ग--(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश दिये जायं सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गई है:

परन्तु--

(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(2) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हे वह उचित समझें।

भाग-तीन-भर्ती

5--भर्ती का स्रोत--सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती परिशिष्ट के स्तम्भ 7 में प्रत्येक पद के सामने दर्शाये गये स्रोतों से की जायेगी।

6--आरक्षण--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायगा।

भाग चार--अर्हताएं

7--राष्ट्रिकता--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी--

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो ... के अभिप्राय से पहली ज... पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो ... भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पा... स्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्री... देश केनिया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लि... आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंज... बार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ... व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार ... पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह, पुलिस उप-महानिरी... अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण... प्राप्त कर ले:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त ... (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से ... अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अ... को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर ... दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त ... ले।

टिप्पणी--ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रत... प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी ... गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सक... और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी ... जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा ... कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी क... जाय।

8--शैक्षिक अर्हता--सेवा में विभिन्न श्रेणियों ... पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्य... पास परिशिष्ट के स्तम्भ 8 में प्रत्येक पद के सामने ... गयी अर्हता और अनुभव हो।

9—अधिमानी अर्हता—अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने—

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

10—आयु—सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु उस कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां विज्ञापित की जायं, इक्कीस वर्ष की हो जानी चाहिए और बत्तीस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ;

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय के अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11—चरित्र—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12—सेवा के प्रास्थिति—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

13—शारीरिक स्वस्थता—किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब-तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेण्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किसी अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पाँच—भर्ती की प्रक्रिया

14—रिक्तियों का अवधारण—नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना उन्हें दी जायेगी।

15—सीधी भर्ती की प्रक्रिया—(1) साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में प्रकाशित विहित रूप-पत्र में आमन्त्रित किये जायेंगे।

(2) आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने अभ्यर्थियों को, जितने के पर्याप्त संख्या में और जो अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हों, साक्षात्कार के लिए बुलायेगा।

(3) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता-क्रम जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर ज्येष्ठता के क्रम में रखेगा।

सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

(5)

...न्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया—(1) पदो— ...भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ...के आधार पर, निम्न प्रकार गठित चयन समिति माध्यम से की जायेगी :

[एक] अपर उद्योग निदेशक, कार्मिक, उत्तर प्रदेश .. अध्यक्ष

[दो] निदेशक द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जाने वाला संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, उद्योग .. सदस्य

[तीन] निदेशक द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जाने वाला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी .. सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) पदोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, उसे चयन समिति के समक्ष रखेगा :

परन्तु इस उपनियम के अधीन पात्रता सूचियां तैयार करते समय जहां दो भिन्न–भिन्न पोषक संवर्ग हों, वहां—

[क] भिन्न–भिन्न वेतनमानों की स्थिति में उच्चतर वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा;

[ख] समान वेतनमानों की स्थिति में अभ्यर्थियों के नाम उनके अपने–अपने संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में पात्रता सूची में रखे जायेंगे।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

17—संयुक्त चयन सूची—यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों, तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार से लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छः—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18—नियुक्ति—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उसके नाम यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गई सूचियों में आये हों।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हो, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, यथास्थिति चयन में यथाअवधारित या जैसा कि उस संवर्ग में हों जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाय, ज्येष्ठता क्रम में किया जायगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो प्रकार से की जाय तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे।

19—परिवीक्षा—(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थितियों में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान कर सकने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

परिशिष्ट

[नियम 3 (क), 5, 22 देखिये]

क्रम-संख्या	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या			भर्ती का स्रोत	शैक्षिक अर्हता/ अनुभव	नियुक्ति प्राधिकारी	अभ्युक्ति
			स्थायी	अस्थायी	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ज्येष्ठ सहायक प्रबन्धक जिसमें निम्नलिखित पद सम्मिलित हैं—	1600-50-2300-द0-रो0 60-2660 रुपये						निदेशक	
	[(एक) सांख्यिकीय अन्वेषक		2	3	5	क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उक्त पदों पर तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से, पदोन्नति द्वारा ।			
	(दो) प्रलेखीकरण सहायक]		1	..	1				
2	(क) सहायक प्रबंधक जिसमें निम्नलिखित पद सम्मिलित हैं—2600 रुपये	1400-40-1600-50-2300-द0 रो0-60-2660 रुपये							
	[एक] सहायक प्रबंधक		..	494	484	(एक) 50 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई उपाधि, परन्तु सहायक प्रबंधक (विधि सहायक) के पद के लिए विधि स्नातक उपाधि अपेक्षित होगी ।	अपर उद्योग निदेशक (कार्मिक), उत्तर प्रदेश	
	[दो] सहकारी ऋण अधिकारी		..	56	56				
	[तीन] संप्रवर्तन सहायक		..	56	56				
	[चार] विधि सहायक		1	..	1				
	[पांच] प्रसार अधिकारी		1	..	1	(दो) 40 प्रतिशत पद क्रम संख्या 3, 4 और 5 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उक्त पदों पर क्रमश पांच वर्ष,			

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य सममक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है ।

20—स्थायीकरण—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसको नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि—

[क] उसका कार्य और आचरण संतोषप्रद बताया जाय;

[ख] उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और

[ग] नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है ।

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुये आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा ।

21—ज्येष्ठता—किसी भी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायगी ।

भाग सात—वेतन इत्यादि

22—वेतनमान—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय ।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वे वेतनमान परिशिष्ट के स्तम्भ 3 में प्रत्येक पद के सामने उल्लिखित हैं ।

23—परिवीक्षा अवधि में वेतन—(1) फण्डामेन्टल रूल्स के किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से किसी स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसको प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु, यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य-कलाप के संबंध में सेवारत सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

24—दक्षता रोक पार करने का मानदण्ड—किसी भी व्यक्ति को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक कि—

(एक) उसने तत्परतापूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो;

(दो) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय;

(तीन) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

भाग आठ—अन्य उपबन्ध

25—पक्ष समर्थन—पद या सेवा पर लागू नियमों के अधीन, अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा ।

26—अन्य विषयों का विनियमन—इन विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे ।

27—सेवा की शर्तों में शिथिलता—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रयर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू होने वाले नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम से उत्पन्न अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है ।

28—व्यावृत्ति—इस नियमावली की किसी कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पड़ेगा, जिनकी इस सम्बन्ध में समय-समय गये सरकार के आदेशों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों और व्यक्ति श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपब

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						आठ वर्ष और ग्यारह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से, पदोन्नति द्वारा			
						(तीन) 6 प्रतिशत उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग के लिपिक वर्गीय सेवा के मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ सहायक (मुख्यालय) और आशुलिपिक (ज्येष्ठवेतनमान), जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में ग्यारह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से, पदोन्नति द्वारा			
						(चार) 4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग लिपिक वर्गीय सेवा के मौलिक रूप से नियुक्त प्रधान लिपिक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम			

(8)

1	3	4	5	6	7	
					दिवस को इस रूप में ग्यारह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से, पदोन्नति द्वारा।	
2 (ख) सहायक प्रबंधक सांख्यिकीय जिसमें निम्नलिखित पद सम्मिलित हैं—	1400-40-1600-50-2300-द0 रो0-60-2600 रुपये				तदेव परन्तु यह कि इन पदों पर पदोन्नति के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो गणित या सांख्यिकी या गणितीय सांख्यिकीय के साथ स्नातक उपाधि रखते हों।	विधि द्वारा किसी वि से गणित सांख्यिकी तीय सां साथ उप
सां० सहायक [एक] ज्येष्ठ अन्वेषक		23	56	79		
[दो] बजट और नियोजन सहायक		..	1	1		
[तीन] शोध सहायक		..	1	1		
3—उद्योग अधीक्षक जिसमें निम्नलिखित पद सम्मिलित हैं—	1400-40-1800-द0रो0-50-2400 रुपये				क्रम संख्या 4 और 5 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उक्त पदों पर क्रमश: पांच वर्ष और आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो में से, पदोन्नति द्वारा	
(1) अधीक्षक		39	1	40		
(2) परीक्षक		7	..	7		
(3) शोध सहायक		3	..	3		
(4) सहायक प्रबन्धक (पर्वतीय)		1	..	1		
(5) डिपो प्रभारी (पर्वतीय)		3	..	3		
(6) उत्पादन प्रबन्धक (पर्वतीय)		3	..	3		
(7) पुस्तकालयाध्यक्ष		1	..	1		

1	2	3	4	5	6	7

2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 औद्योगिक परीक्षक श्रेणी एक, जिसमें निम्नलिखित पद सम्मिलित हैं—	1400-40-1800 द0रो0-50-2300 रुपये							
(एक) शोध सहायक		2	..	2	क्रम संख्या 5 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा	..	अपर उद्योग निदेशक (कार्मिक), उत्तर प्रदेश	
(दो) सहायक प्रबन्धक (पर्वतीय)		1	..	1				
(तीन) डिपो प्रभारी (पर्वतीय योजना)		..	..	5				
(चार) उत्पादन प्रबंधक (पर्वतीय योजना)		2	..	2				
5 औद्योगिक परीक्षक (श्रेणी-2), जिसमें निम्नलिखित पद सम्मिलित हैं	1200-30-1560-द0रो0-40-2040 रुपये							
(एक) निरीक्षक (ऋण और अनुदान)		2	..	2	(एक) 75 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	..	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व-विद्यालय से स्नातक उपाधि परन्तु अन्वेषक एवं गणनकर्ता के पद के लिये गणित या सांख्यिकीय या गणितीय सांख्यिकी के साथ स्नातक उपाधि अपेक्षित होगी, परन्तु यह और कि हथकरघा निरीक्षक के पद के लिये टैक्सटाइल्स में डिप्लोमा एक अधिमानी अर्हता होगी,	6
(दो) प्रचार सहायक		1	..	1				
(तीन) प्राविधिक सहायक		..	2	2				
(चार) हथकरघा निरीक्षक		..	56	56				
(पांच) प्रचार निरीक्षक गुणवत्ता चिह्नांकन योजना)		2	..	2	(दो) क्रम संख्या 6 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से, पदोन्नति द्वारा			
(छः) सहायक उद्योग अधिकारी		175	..	175				
(सात) अन्वेषक एवं गणनकर्ता		82	332	414				
(आठ) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (मुख्यालय)		1	..	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(नौ) पुस्तकालयाध्यक्ष		1	1	2	परन्तु यह कि अन्वेषक एवं गणनकर्ता के पद पर पदोन्नति के लिये केवल ऐसे अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, जो गणित या सांख्यिकी या गणितीय सांख्यिकी के साथ स्नातक हों आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	परन्तु यह भी कि पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिये पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र एक अधिमानी अर्हता होगी। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व-विद्यालय से उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।		
6	उद्योग पर्यवेक्षक, जिसमें निम्नलिखित पद सम्मिलित हैं—	975-25-1150-द0रो0-30-1660 रुपये						अपर उद्योग निदेशक (कार्मिक), उत्तर प्रदेश	..
	(एक) सहकारिता पर्यवेक्षक एवं उद्योग पर्यवेक्षक		..	112	112				
	(दो) क्षेत्र संगठक		1	..	1				
	(तीन) पर्यवेक्षक (उद्योग)		2	..	2				
	(चार) पर्यवेक्षक एवं लेखाकार		54	..	54		परन्तु सहकारिता पर्यवेक्षक एवं उद्योग पर्यवेक्षक के पदों के लिये उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा, जो सहकारिता में प्रशिक्षण प्राप्त हो		
7	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	1400-40-1600-50-2300-द0रो0-60-2600 रुपये	5	48	53	क्रम संख्या 8 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से, पदोन्नति द्वारा	..	अपर उद्योग निदेशक (कार्मिक), उत्तर प्रदेश	..

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	लेखा परीक्षा	1200-30-1560-दo रो०-40-2040 रुपये	47	..	47	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा परीक्षा/लेखा कार्य के साथ वाणिज्य विषय में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि	अपर उद्योग निदेशक (वाणिज्य), उत्तर प्रदेश	
9	ज्येष्ठ सहायक प्रबन्धक (प्राविधिक) जिसमें निम्नलिखित पद सम्मिलित हैं—	1600-50-2300-दo रो०-60-2600 रुपये				क्रम संख्या 10 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से, पदोन्नति द्वारा	..	निदेशक	
	(एक) अधीक्षक (गुणवत्ता विपणन योजना)		10	..	10				
	(दो) ज्येष्ठ फोरमैन (कांच/चीनी मिट्टी)		1	..	1				
	(तीन) यांत्रिक फोरमैन (चीनी मिट्टी)		..	1	1				
	(चार) प्रचार अधिकारी (टेक्सटाइल्स टेक्नोलाजी)		..	1	1				
	(पांच) प्राविधिक सहायक (कांच)		1	..	1				
	(छः) सहायक अभियन्ता (चीनी मिट्टी)		1	..	1				
	(सात) शोध और प्रसंस्करण सहायक (चीनी मिट्टी)		..	1	1				
	(आठ) प्रचार अधिकारी (चीनी मिट्टी)		..	1	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	सहायक प्रविधिक (प्राविधिक) जिसमें निम्नलिखित पद सम्मिलित हैं—	400–40–1600–50–2300–EB रो0–60–2600 रुपये				(एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (दो) 50 प्रतिशत क्रम संख्या 11 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा	प्रत्येक पद की अपेक्षानुसार अर्थात् रासायनिक, यांत्रिक, विद्युत, वस्त्र, वस्त्र रंगायन, काष्ठ, कार्य चमड़ा, कांच, मृतिका शिल्प में प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से विशिष्ट शाखा या व्यवसाय में डिप्लोमा या उसके समकक्ष डिप्लोमा	अपर उद्योग निदेशक (कार्मिक), उत्तर प्रदेश
	(एक) कनिष्ठ निरीक्षण अधिकारी (यांत्रिक) भण्डारकय	1	..	1				
	(दो) प्राविधिक सहायक (चीनी मिट्टी)	1	..	1				
	(तीन) कार्यशाला फोरमैन (प्रसार)	4	..	4				
	(चार) फोरमैन, यांत्रिक, लघु उद्योग	2	..	2				
	(पांच) प्रतिदर्श कक्ष प्रभारी (यांत्रिक)	2	..	2				
	(छः) प्राक्कलनकर्ता लघु उद्योग	1	..	1				
	(सात) फोरमैन लघु स्तरीय उद्योग	2	..	2				
	(आठ) कनिष्ठ निरीक्षण अधिकारी (विद्युत)	1	..	1				
	(नौ) प्रतिदर्श कक्ष प्रभारी (विद्युत)	2	..	2				
	(दस) प्राविधिक सहायक (रंगायन)	2	..	2				
	(ग्यारह) प्रतिदर्श कक्ष प्रभारी (यांत्रिक)	2	..	2				
	(बारह) रंगायनज्ञ लघु स्तरीय उद्योग	2	..	2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(तेरह) कनिष्ठ निरीक्षण अधिकारी (वस्त्र)		1	..	1				
	(चौदह) शोध सहायक (चमड़ा)		1	..	1				
	(पन्द्रह) कनिष्ठ निरीक्षण अधिकारी (काष्ठ)		1	..	1				
	(सोलह) प्राविधिक सहायक (कांच और मृत्तिका शिल्प)		1	..	1				
	(सत्रह) शोध सहायक (मृत्तिका शिल्प)		2	..	2				
	(अट्ठारह) प्रभारी अधिकारी (शिल्प संग्रहालय)		1	..	1				
	(उन्नीस) शोध सहायक (कांच)		1	..	1				
11.	उद्योग अधीक्षक (प्राविधिक) जिसमे निम्नलिखित पद सम्मिलित है—	1400-40-1800-द0 रो0-50-2400-रुपये							
	(एक) परीक्षक (यांत्रिक)		1	..	1	क्रम संख्या 12 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हों, में से, पदोन्नति द्वारा	..	अपर उद्योग निदेशक (कामिक), उत्तर प्रदेश।	
	(दो) अधीक्षक गुणवत्ता विपणन योजना		16	7	23				
	(तीन) फोरमैन एवं धातुकर्मी		..	1	1				
	(चार) मास्टर क्राफ्टमैन एवं फोरमैन (यांत्रिक)		..	1	1				
	(पांच) परीक्षक (विद्युत)		3	..	3				
12.	उद्योग परीक्षक श्रेणी-1 (प्राविधिक) जिसमें निम्नलिखित पद सम्मिलित है—	1400-40-1800-द0रो0-50-2300-रुपये				(एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	प्रत्येक पद की अपेक्षानुसार	अपर उद्योग निदेशक (कामिक), उत्तर प्रदेश।	

	योजना)		..	38			
	(दो) फोरमैन	75	..	25	(दो) 50 प्रतिशत क्रम संख्या 13 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस की इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो; पदोन्नति द्वारा	उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् से विशिष्ट शाखा या व्यवसाय में डिप्लोमा या उसके समकक्ष ।	
	(तीन) सहायक प्रबन्धक (औद्योगिक सम्पदा)	22	..	22			
	(चार) अवर अभियन्ता	1	..	1			
	(पांच) रसायनज्ञ (गुणवत्ता विपणन योजना)	1	..	1			
	(छः) सहायक उत्पादन अधीक्षक (पर्वतीय)	1	..	1			
	(सात) शिल्पी (रंगाई और बुनाई) (पर्वतीय)	2	..	2			
	(आठ) ज्येष्ठ शिल्पी	5	..	5			
	(नौ) ट्रेड टेस्टर (टेलरिंग)	1	..	1			
	(दस) प्राविधिक सहायक (कांच)	2	..	2			
	(ग्यारह) विश्लेषक (कांच)	1	..	1			
	(बारह) भट्ठी सहायक (कांच)	1	..	1			
	(तेरह) प्रयोगशाला सहायक (कांच)	4	..	4			
	(चौदह) प्राविधिक अभिकल्पक	1	..	1			
	(पन्द्रह) कलाकार एवं अभिकल्पक	1	1	2			
	(सोलह) वाणिज्यिक कलाकार	1	..	1			
	(सत्रह) सजावट कलाकार (कांच)	1	..	1			
13	औद्योगिक परीक्षक (श्रेणी–दो) (प्राविधिक) जिसमें निम्नलिखित पद सम्मिलित हैं— (1) ट्रेट टेस्टर; (2) इन्स्ट्रक्टर (एक्सटेंशन पी० डब्लू० एस०)	1200–30–1560–60 रो०–40–2040 रुपये	15 83	..	15 83	(एक) 75 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (दो) 25 प्रतिशत क्रम संख्या 14 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों,	प्रत्येक पद की अपेक्षानुसार किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से विशिष्ट शाखा या व्यवसाय में प्रमाण–पत्र या उसके समकक्ष	अपर उद्योग निदेशक (कार्मिक), उत्तर प्रदेश

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(3) प्रारूपकार		12	—	12	जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो में से, पदोन्नति द्वारा			
	(4) प्राविधिक सहायक		10	3	13				
	(5) तकनीशियन उत्पादन		1	—	1				
	(6) शिल्पी		2	—	2				
	(7) प्रतिरूपक और अभिकल्पक		3	—	3				
14	उद्योग पर्यवेक्षक (प्राविधिक) जिसमें निम्नलिखित पद सम्मिलित हैं—	975–25–1150 द०रो०–30–1660				(एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (दो) 50 प्रतिशत क्रम संख्या 15 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा	प्रत्येक पद की अपेक्षानुसार किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से विशिष्ट व्यवसाय में प्रमाण-पत्र या उसके समकक्ष	अपर उद्योग निदेशक (कार्मिक) उत्तर प्रदेश।	
	(एक) इन्स्ट्रक्टर		42	2	44				
	(दो) फोरमैन		—	4	4				
	(तीन) मैकेनिक		1	1	2				
	(चार) मिस्त्री		1	—	1				
	(पांच) प्राविधिक सहायक (पालिश/पेंट) (पर्वतीय)		1	—	1				
	(छः) पालिश करने वाला (पर्वतीय)		1	—	1				
	(सात) कनिष्ठ शिल्पी		2	1	3				
	(आठ) रंगरेज (पर्वतीय योजना)		—	1	1				
	(नौ) पर्यवेक्षक बुनाई-कताई		6	—	6				
	(दस) ब्लॉक बनाने वाला		1	—	1				
	(ग्यारह) सहायक अधीक्षक (संग्रहालय)		1	—	1				
	(बारह) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (मुख्यालय)		1	—	1				
15	उद्योग सहायक जिसमें निम्नलिखित पद सम्मिलित हैं—	950–20–1150–द० रो०–25–1500 रुपये				आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	प्रत्येक पद की अपेक्षानुसार किसी मान्यता प्राप्त	अपर उद्योग निदेशक (कार्मिक)	

1	4	5	6	7	8	9	10
(एक) प्रेक्षक	25	—	25	औद्योगिक शिक्षण संस्थान से अपेक्षित व्यवसाय में प्रमाण-पत्र	उत्तर प्रदेश ।		
(दो) फोरमैन	5	—	5				
(तीन) मिस्त्री	4	—	4				
(चार) ऊनु श्रेणीकार	2	—	2				
(पांच) रंगरेज	—	1	1				
(छः) होजरी इंस्ट्रक्टर	3	—	3				
(सात) कनिष्ठ शिल्पी (काष्ठ)	—	2	2				
(आठ) प्रयोगशाला सहायक (चमड़ा)	2	—	2				
(नौ) डोरिंग मशीन आपरेटर	2	—	2				
(दस) प्रतिरूप आकृति अनुदेशक	1	—	1				
(ग्यारह) इन्स्पेक्टर फायरिंग पाटरी	6	—	6				
(बारह) मास्टर पाटर	1	—	1				
(तेरह) मकैनिक	2	—	2				
(चौदह) कुशल शिल्पी	2	—	2				
(पन्द्रह) जल चरखी चालक	20	—	20				
(सोलह) मोल्डर पाटरी	—	2	2				
(सत्रह) ब्वायलर परिचर	1	—	1				

आज्ञा से,
बृजेश कुमार,
सचिव ।